संख्या:2/2024/50ई-2/तेरह-2024-473515

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-**2** लखनऊ: दिनांक**:** 16 जनवरी, 2024

विषय:-मेसर्स गाजियाबाद आर्गेनिक्स लि., ग्राम भोजपुर, तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद की केवल ग्रेन अल्कोहल उत्पादन क्षमता 50 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 300 कार्य दिवस के आधार आधार पर आसवनी की क्षमता 150 लाख लीटर से बढ़ाकर 80 कि.ली. प्रतिदिन किये जाने अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर आसवनी की क्षमता 280 लाख लीटर वार्षिक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: जी.-36-/दो.-प्रा.डी.-69, दिनांक 19-05-2023 सहित अपने पत्र दिनांक 16-10-2023, 24-11-2023 व 19-12-2023 तथा प्रकरण में प्रमुख सचिव महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 29-12-2023 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 03-01-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्रों में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं आद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स गाजियाबाद आर्गेनिक्स लिमिटेड, ग्राम भोजपुर तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद की केवल ग्रेन अल्कोहल उत्पादन क्षमता **50** कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में **300** कार्य दिवस के आधार पर आसवनी की क्षमता **150** लाख लीटर से बढ़ाकर **80** कि.ली. प्रतिदिन किये जाने अर्थात् वर्ष में **350** कार्य दिवस के आधार पर आसवनी की क्षमता **280** लाख लीटर वार्षिक किये जाने हेतु **30** कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का केवल अनाज पर आधारित प्लान्ट, जिसके अन्तर्गत रेक्टिफाइड स्प्रिट एवं अब्सोल्यूट अल्कोहल का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा उत्पादन करते समय निम्नलिखित शर्तों का भी अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा:-

(क) **50** कि.ली. प्रतिदिन क्षमता तक शीरे/ग्रेन से अल्कोहल का निर्माण किया जायेगा। शेष **30** कि.ली. अल्कोहल का उत्पादन केवल ग्रेन से किया जाना अनुमन्य होगा।

(ख) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक **26.03.2021** के प्रस्तर- **3(4)(**छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.

---

1. **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2. **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(ग) आबकारी आयुक्त की आख्या/ प्रस्ताव दिनांक **19-12-2023** के अनुसार आसवक द्वारा आरोपित अर्थदण्ड रू. **2,27,50,155/-(**दो करोड़ सत्ताइस लाख पचास हजार एक सौ पचपन मात्र) का **25** प्रतिशत रू. **57,00,000/-(**सत्तावन लाख मात्र) **(**UNDER PROTEST**)** जमा कर दिया गया है। अत: आसवक द्वारा आसवनी पर जुर्माने की अवशेष धनराशि रू. **1,70,50,155/- (**एक करोड़ सत्तर लाख पचास हजार एक सौ पचपन मात्र) को तीन किस्तों में प्रत्येक छः माह में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(घ) आबकारी आयुक्त द्वारा प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आसवनी पर अद्यतन कोई सरकारी राजस्व बकाया न हो।

(ड.) इकाई द्वारा उत्पादन करते समय गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP**)** एवं भारतीय मानक ब्यूरो (BIS**)** द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(च) इकाई में स्थापित किये जा रहे एथनाल संचय टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर**,** जो आबकारी विभाग के पोर्टल से इन्टीग्रेट होगा**,** लगाया जाना अनिवार्य होगा।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय**,**

(**उमेश कुमार तिवारी**)
संयुक्त सचिव

संख्या:2/2024/50ई-2/तेरह-2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त**,** उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) अपर मुख्य सचिव**,** वित्त विभाग**,** उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव**,** कृषि विभाग**,** उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव**,** उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग**,** उत्तर प्रदेश शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव**,** पशुधन विभाग**,** उत्तर प्रदेश शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव**,** वन एवं पर्यावरण विभाग**,** उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव**,** खाद्य एवं रसद विभाग**,** उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से**,**

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

---

1. **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2. **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in